न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 23/2012

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. मोहनी पत्नी शोकिन जाति-जाट, निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)		1. शोकिन पुत्र भंवरु जाति जाट निवासी लाम्बिया 2. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण 3. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज0) 4. पटवारी, पटवार हल्का लाम्बिया तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.02/02/2012**

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री शाकिन हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः 15/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादीया प्रतिवादी की पत्नि हैं, वादीगण के एक पुत्र व एक पुत्री हैं, वादीया के ससुराल पक्ष की पुश्तैनी भूमि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार क्षेत्र-लाम्बिया, भू-अभिलेख निरीक्षक आ0कालू में खं0 न0 42 रकबा 9-04 बीघा किस्म बारानी दोयम आयी हुई हैं। वादीया व वादीया के पति का लगातार उपरोक्त ख.न. की भूमि पर कब्जा काश्त हैं। वादीया का देवर अमराराम पुत्र भंवरु व सास सकुडी बेवा भंवरु की मृत्यु काफी वर्षो पूर्व हो चूकी हैं। वादीया का देवर अमराराम अविवाहित था व अविवाहित ही फौत हो चुका हैं। अमराराम के कोई जायन्दा औलाद नहीं हैं। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि वादीया का पति एक मात्र उक्त भूमि में हक हकुक रखते हैं। वादीया व वादीया का पति कृषि कार्य पर निर्भर है व खेती कर अपना पालन पोषण करते हैं। वादीया का पति प्रतिवादी शोकिन जुआ खेलने व शराब पीने का आदि है वादीया के पति ने पूर्व में भी पुश्तैनी मकान का शराब के नशे मैं बेचान कर चुका हैं। प्रतिवादी शोकिन अब फिर वादीया की ससुराल पक्ष की पुश्तैनी भूमि का रजिस्टर्ड बेचान करने पर आमदा हैं। अगर प्रतिवादी वाद के पद सं. 1 में बतायी भूमि का रजिस्टर्ड बैचान कर देता हैं तो वादीया व वादी के बच्चे भुखे मर जायेगें। प्रतिवादी को कानूनन भी दावें के पद सं. 1 में बतायी गयी सम्पूर्ण भूमि को बैचने का अधिकार नहीं हैं। वादीया उक्त कृषि भूमि से काश्त कर मजदूरी कर अपने बाल बच्चो का पालन पोषण शांतिपूर्वक कर रही हैं। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 शराब क़ा आदि होने से वादीया के सामाजिक जीवन में विघ्न उत्पन्न कर रहा हैं। दिनांक 31/01/12 को प्रतिवादी ने वादीया को ऐलानिया धमकी दी। उक्त वर्णित कृषि भूमि को मै बेचान करके ही रहुगां व खुर्द बुर्द कर दुगां। वादीया ने अपने काका बाबा को इकठ्ठा कर प्रतिवादी को समझाने की कोशिश की लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 दावें के पद सं1 में बतायी गयी कृषि भूमि का बैचान करने पर उतारु हैं। वादीया को यह अधिकार उत्पन्न होते हैं कि वह अपने ससुराल पक्ष पुश्तैनी भूमि को खुर्द बुर्द करने व बैचान करने से रोकने व रुकवाने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की अधिकारणी है। अगर प्रतिवादी ने उक्त दावें के पद सं0 1 में बतायी कृषि भूमि सम्पूर्ण का बेचान कर दिया तो वादीया को काफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किस कदर संभव नही होगी। वादीया का परिवार व बाल बच्चे भूखे मर जायेगें। उक्त वर्णित कृषि भूमि को बैचान रुकवाने की अधिकारणी हैं एवं राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का रदोबल प्रतिवादीगण नही करें जिसे भी रुकवाने की अधिकारणी हैं। प्रतिवादी सं 2 उपपंजियन अधिकारी को राजस्व रेकर्ड में श्रीमान के आदेश के बिना किसी प्रकार से तब्दीली नहीं करें इसलिए पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी सं. 3 भूमिधारी होने से व प्रतिवादी सं 4 हल्के का पटवारी होने से म्युटेशन नहीं भरे व राजस्व रेकर्ड में रद्धोबदल नहीं करें इसलिए पक्षकार बनाया हैं। बिनाय वाद दिनांक 31/01/12 की वादीया को प्रतिवादी ने दावें के पदं सं. 1 में बतायी सम्पूर्ण कृषि भूमि का बैचान करने की धमकी देने पर ग्राम लाम्बिया उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली राजस्व शिविर में पेश हुई। प्रतिवादी ने राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया। राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–गांगलिया, पटवार क्षेत्र–लाम्बिया, भू–अभिलेख निरीक्षक आ0कालू में खं0 न0 42 रकबा 9–04 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर –लाम्बिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. मोहनी पत्नी शोकिन जाति-जाट, निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

1. शोकिन पुत्र भंवरु जाति जाट निवासी लाम्बिया
2. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण
3. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज0)
4. पटवारी, पटवार हल्का लाम्बिया तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज0)

राजस्व वाद स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0:23/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री शाकिन हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार क्षेत्र-लाम्बिया, भू-अभिलेख निरीक्षक आ0कालू में ख0 न0 42 रकबा 9-04 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	/
स्टाम्प वजह सबूत	01-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	--	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner